उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांकसंख्या–H 79941 /सी–5/95/OA No-343/2022 दिनांक 18.8.22
पंजीकृत

From,

Chief Environmental Officer,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Lucknow.

To,

The Registrar General,
Principal Banch,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub: Regarding Joint Inspection report in compliance of order dated 17.05.2022 in O.A. no. 343/2022 Shani Pratap Singh V/s State of U.P.

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 17.05.2022 on matter mentioned above, the Joint Inspection report is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Enclosure: As above.

Your's Sincerely

(Dr. Ram Karan)
Chief Environmental Officer, Circle-5

Copy to:

1. District Magistrate, Barabanki.
2. Chif Law Officer, UPPCB, Lucknow.
3. Regional Officer, UPPCB, Lucknow.

Chief Environmental Officer, Circle-5

तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

सन्दर्भ सं०
Ref. No. 882/रि2 याचिका-98/2022

दिनांक 23/07/2022
Dated :

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–343/2022 सनी प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 17/05/2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या–एच 77847/सी–5/ओ0ए0 नं0–343/2022 दिनांक 29/06/2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–343/2022 सनी प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 17/05/2022 के अनुपालन में ईट भट्ठे का संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 17/06/2022 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्या मूल रूप में इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(डा0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

Subject: Joint Inspection report in compliance to the order passed by the Hon'ble NGT on Dated 17.06.2022 in O.A No. 343/2022 Sunny Pratap Singh Vs State of U.P.

As per the above a combined inspection was conducted by the under signed on dated 17.06.2022. During the time of inspection brick kiln owner Sri Rajesh Kumar Verma was present. The facts that were found at the time of inspection are as under :-

1 The brick kiln is established and operational in Vill and Post Tezwapur, Block Trivediganj, Tehsil- Haidergarh, District- Barabanki. As per the writ petition filed in the Hon'ble Court the complainant has filed the complaint against Pradhan Brick Field (P.B.F) Vill and Post Tezwapur, Block- Trivediganj, Tehsil - Haidergarh, District- Barabanki. while Pradhan Brick Field (P.B.F) is the trade name. As per the office record the name of the brick kiln is M/s Ramshanker Brick Field Vill Tezwapur which is established and operational since 1997 at the above location.

2 M/s Ramshanker Brick Field Vill Tezwapur produces approx 25000 Bricks per day using soil, sand, water as raw material, having 23 no. of Payas in the brick kiln. Appox 4-5 ton per day of coal is used as fuel in the brick kiln. Gravitational settling chamber along with 115 Feet stack is established as a Air Pollution Control system.

3 The consent to operate under Air Act has been granted to the brick kiln till dated 30.09.2024 by the state board as per the letter dated 19.10.2019 and the first consent to operate under Air Act was granted to the brick kiln in the year 1997. (Anexure-1)

4 Brick kiln has submitted the analysis report dated 11.04.2022 of the gaseous emission generating from the stack from approved laboratory M/s Ultra Testing and research laboratory. The observed parameters of the Analysis report are found as P.M-218 Mg/NM^3, SO_2- 16 Mg/NM^3, NO_X- 42 Mg/NM^3 and CO-112 Mg/NM^3. All the parameters were found as per the norms. (Anexure-2).

ASU

-1

5 During inspection the facts which were found are as follows:-

East direction- M/s Shanker Brick Field at 350 Meters, Purwa of Vill Ghisaa and Mazaraa of Tezawapur at about 900 meters.

West Direction- Vill Maroofpur at about 950 meters.

South West Direction- Vill Tezawapur at about 500 meters.

North Direction- Vill Jaskapur at about 750 meters.

South Direction- Vill Baddapur at about 500 meters.

South East Direction- M/s Vindhyawasini Brick Field at 200 Meters.

6 Brick kiln is established and operational since year 1997 as per the former guideline of Zila Panchayat Parishad, During inspection it was found that the brick kiln is established as per the guide line of Zila Panchayat Parishad, Zila Panchayat Barabanki has issued receipt of the license fee to the brick kiln and mining department has issued license to the brick kiln. Brick kiln is also registered with the GST. (Anexure-3).

7 In writ petition complainant has said that due to the operation of the brick kiln causing air pollution is effecting the health of the population existing near the brick kiln. During inspection the complaint cannot be verified.

Inspection report submitted for further necessary action.

17/6/22

(Kshitesh Patel)
Asst Scientific Officer
U.P.Pollution Control Board
Lucknow

17.6.22

(Surendra Viswakarma)
S.D.M
Haidergarh
Barabanki
उपजिलाधिकारी/उपजिला मजिस्ट्रेट
हैदरगढ़–बाराबंकी

(Annexure-1)

U.P. Pollution Control Board

CONSENT ORDER

Ref No. - 67537/UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTO/air/BARABANKI/2019

Dated : 19/10/2019

To,

Shri RAJESHKUMAR VERMA
M/s MS RAM SHANKAR BRICK FIELD
Village- Tejwapur Post- Tejwapur Tehsil- Haidergarh Barabanki,BARABANKI,225001
BARABANKI

Sub : **Consent under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act. 1981 (as amended) to M/s. MS RAM SHANKAR BRICK FIELD**

Reference Application No. 6070124 Dated : 19/10/2019

1. With reference to the application for consent for emission of air pollutants from the plant of M/s MS RAM SHANKAR BRICK FIELD. under Air Act 1981. It is being authorised for said emissions, as per the standards, in environment, by the Board as per enclosed conditions .
2. This consent is valid for the period from 01/10/2019 to 30/09/2024 .
3. Inspite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 21 (6) of the Air (Previntion and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.
4. This consent is being issued with the permission of competent authority .

Dr Ram Karan Digitally signed by Dr Ram Karan Date: 2019.10.24 17:21:41 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow-226010

Enclosed : As above (condition of consent):

Copy to: Chief Environment Officer, Circle-5, Uttar Pradesh Pollution Control Board, TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010.

Dr Ram Karan Digitally signed by Dr Ram Karan Date: 2019.10.24 17:22:20 +05'30'

Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow-226010

U.P. Pollution Control Board

Dated : 19/10/2019

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid only for the approved production capacity of 18000 ENT/DAY.
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.

3(a) The maximum rate of emission of flue gas should not be more than the emission norms for the stacks.

3(b) Air Pollution Source Details.

Air Pollution Source Details

S.No	Air Polution Source	Type of Fuel	Stack No.	Parameters	Height
1	brick kiln	coal,wood	1	Particulate Matter	115 ft

3(c) The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board .

Emission Quality Details Detail

S.No	Stack No	Parameter	Standard

4. Quantity of other pollutants should also be as per the norms prescribed by the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .
5. The equipment for air pollution control systen and monitoring ,as proposed by the industry and approved by the Board should be installed in their premises itself .
6. The modification or installation in the existing pollution control equipments should be done only by prior approval of Board .
7. The operation of air pollution control system and maintenance be done in such a way that the quantity of pollutants should be in accordance with the standards prescribed by the Board/MoEF & CC/or otherwise mandatory .
8. Unit should do provisions for fugitive emissions chimney/stack as per the norms of the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .
9. The unit should submit the stack emissions monitoring report within one month from issuance of consent order along with the point-wise compliance report of the consent order . Further quarterly monitoring report should be submitted .

Specific Conditions:

On the basis of observations made in Inspection report of M/S RAM SHANKAR BRICK FIELD Village-Tejwapur Post- Tejwapur Tehsil- Haldergarh Barabanki,BARABANKI,225001 Rrecommended for grant of conditional consent (Air) for up to period of dated 30.09.2024 with following special conditions :-

1. Brick Kiln shall ensure adequate plantation and green belt within the premises.
2. Brick Kiln shall obtain prior approval before making any modification in product/process /fuel/plant machinery. Failing which consent would be deemed void.
3. Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.
4. Brick kiln should fully comply the conditions mention in environmental clearance issued by District Level Environment impact Assessment Authority (DIEAC).
5. Brick kiln shall not use hazardous waste like spent organic solvent, oily residue, pet coke, filter press cake, and other wastes like plastic, rubber, leather cutting etc. shall not be used as fuel.
6. Brick kiln shall provide permission to this office issued by Zila Panchayat and Mining Department within two month from date of issue of this consent to operate.
7. Brick Kiln shall be operated in such a manner that ambient air quality should not be adversely affected.
8. The brick kiln should ensure full compliance of prescribed emission standards as notified by Ministry of Environment and forest, Government of India via serial no. 74 of Schedule-I in notification no. GSR 543(E) dated 22.07.2009 issued under Environment (Protection) Rules, 1986.
9. The brick kiln should comply the notification issued under the Environment (Protection) Act., 1986.
10. The brick kiln should installed lighting arrestor as per the PWD norms or any other standard design for brick kiln to avoid the damage to stack caused due to lighting attack.
11. Compliance report of this consent order must be sent to this office within two months.
12. Ash content should be used for low lying land filling in a scientific manner.
13. The brick kiln should regularly operate and maintain Air Pollution Control System (APCS) so that it meet stipulated emission standard.
14. Stack emission monitoring test should be carried out from Environment (Protection) Act, 1986 approved laboratory/NABL laboratory by the brick kiln and submit monitoring report to the Board within two months.
15. The Brick Kiln on conversion of natural draft to induced draft Brick Kilns (with rectangular kiln shape and zig-zag brick setting) in seasion-2019-20 and zig-zag conversion compliance report must be sent to this office within two months.
16. The Brick Kiln should be paved with the bricks to minimize the fugitive dust emissions from the Brick Kiln operations.
17. The Brick Kiln fine dust not to accumulate all around the Brick Kilns.
18. Brick Kiln is directed to use minimum 20% Bio briquettes as a fuel with coal.
19. Location of the establishment shall be as shown in the drawing attached. No change or alteration to the above shall be made.
20. Unit shall submit Stack Monitoring Report in every season from approved laboratory.
21. The operation of Brick Kiln should be in such a manner that no any adverse impact on the environment and public in surrounding.
22. Balance consent fee will be payable if found so.
23. Brick Kiln shall ensure adequate plantation and green belt within its premises.
24. The Board has rights to revoke the issued consent if industry found in non compliance of the conditions during sudden inspections.
25. Use of water for domestic purpose, domestic effluent generation and its discharge is treated via Soak pit/Septic tank.
26. For renewal of the consent in case of continuance of emission/operation of the brick kiln, application in the prescribed form shall be submitted through the web portal for Online Portal System 2 months prior to the date of expiry.
27. The brick kiln must properly install Air Pollution Control System (APCS) of natural draft to induced draft Brick Kilns (with rectangular kiln shape and zig-zag brick setting) so that it meet stipulated emission standard.
28. Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble High Court under consideration writ no. 2625(MB) of 2008 for protection fruit belt area and safeguard of environment from time to time.

Issued with the permission of competent authority .

Dr Ram Karan

Digitally signed by Dr Ram Karan
Date: 2019.10.24 17:23:14 +05'30'

F r and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow-226010

Ultra Lab

ULTRA TESTING & RESEARCH LABORATORY

(An ISO 9001:2008 Certified & NABL Accredited Laboratory)
Certificate No.: TC-8198
Laboratory: C-43, Sector-88, Phase-II, Noida, UP
Ph. No.: 0120-6540578, +91-9971912476, 9350952231
Website: http://www.ultralabnoida.com. E-Mail: ultraresearchlab@gmail.com

TEST REPORTS

Stack Emission Analysis

Issue Date: 17/04/2022

Issued To	:	M/S RAM SHANKAR BRICK FIELD GATA NO. 437, 446, 464 VILLAGE & POST-TEJWAPUR, TEHSIL-HAIDERGARH, DISTRICT-BARABANKI.
Sample Drawn On	:	11/04/2022
Time of Sampling	:	30 Minutes
Analysis Duration	:	12/04/2022 To 15/04/2022
Ambient Temperature (°C)	:	38.4
Stack Temperature (°C)	:	192.0
Source of Emission	:	Stack Attached to Brick Klin
Capacity	:	--
Diameter of Stack (m)	:	3.0
Height of Stack from ground level (m)	:	31.0
Type of Stack	:	BRICKS
Type of Fuel Used	:	WOOD, COAL & Bio Briquettes
Fuel Consumption	:	--
Average Velocity of Flue Emission (m/sec)	:	18.8
Control Measures	:	APCS
Remarks (if any)	:	--

RESULTS

S.No.	Parameter	Test Method	Result	Unit	Limit as per EPAct: 1986
1	Particulate Matter (PM)	IS:11255 (Part-1)	218.0	mg/Nm³	250
2	Sulphur Dioxide as (SO_x)	IS:11255 (Part-2)	16.0	mg/Nm³	--
3	Oxides of Nitrogen (NO_x)	IS:11255 (Part-7)	42.0	mg/Nm³	--
4	Carbon mono-oxide (CO)	USPEA Method No.-10/IS 13270	112.0	mg/Nm³	--

End of Report

Note:

1. The results given above are related to the tested sample, for various parameters, as observed at the time of sampling. The customer asked for the above tests only.
2. This test report will not be used for any publicity/legal purpose.
3. The test samples will be disposed-off after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

Checked By

For ULTRA TESTING & RESEARCH LABORATORY

ULTRA TESTING & RESEARCH LABORATORY C-43 PHASE-II NOIDA

(Authorized Signatory)

Assuring you of best our services at all times

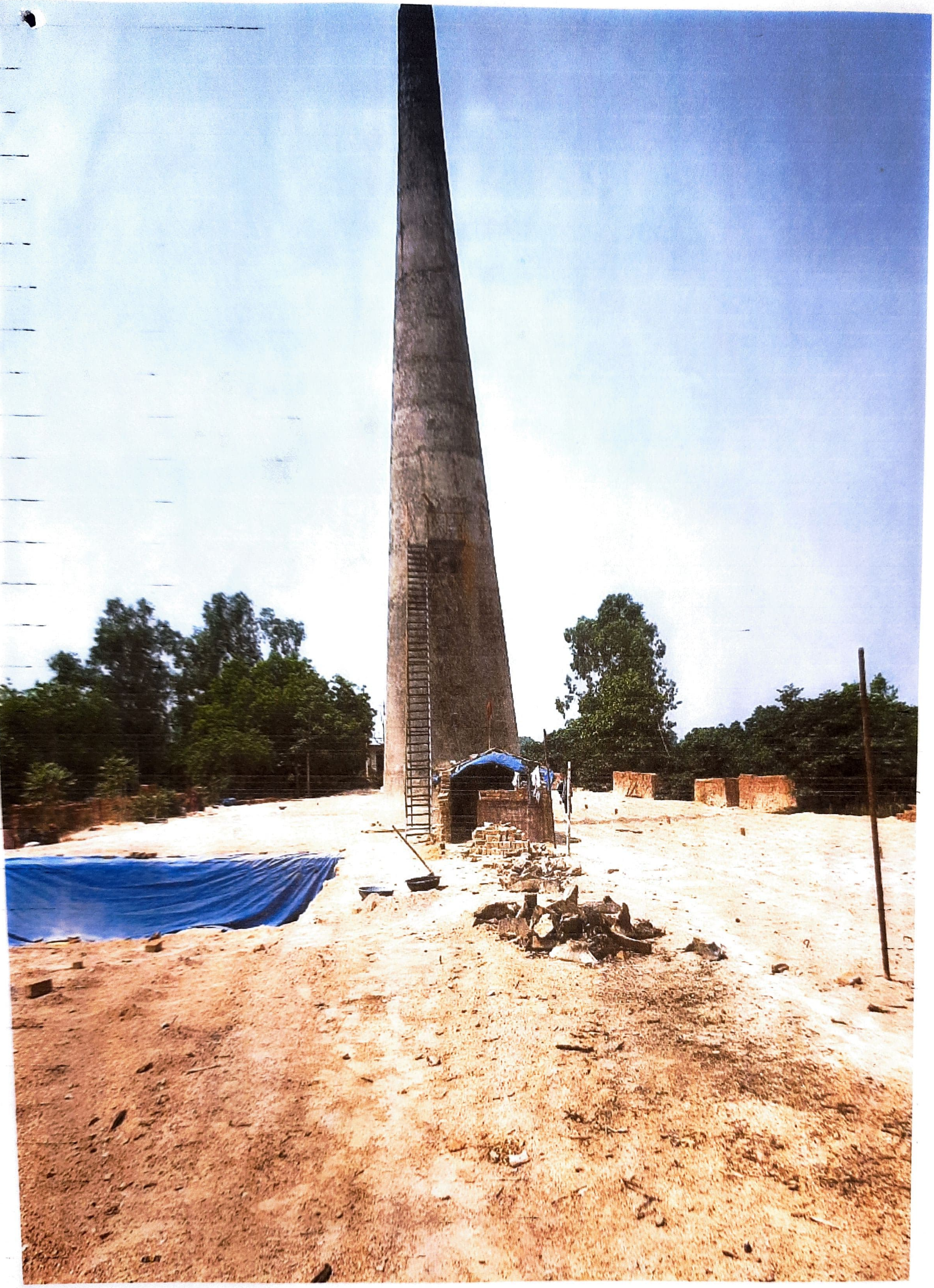

(Annexure-3) 11

केन्द्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

सी-९५२/९५३, सेक्टर-बी, महानगर, लखनऊ

पंजीकृत

संदर्भ संख्या 105 /वायु प्रदूषण/ 2466/ 99 दिनांक 01/12/99

सेवा में,

मेसर्स रमाशंकर ब्रिक फील्ड,
असन्तपुर तेजपुर हैदरगढ़,
बाराबंकी।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक ....का अवलोकन करें जिसके 2466/ का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या ...संलग्न...38...सहमति (वायु) आदेश/...95...दिनांक...12/1/98...को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 3 से 9 जो नीचे वर्णित किया जाता है।

1- सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2- ....के० जी० ए० क्षमता के डी० जी० सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/ भवन छत से ....मी० ऊँचा किया जाए।

3- फ्लू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के ......एक......के माह अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

एस०पी०एम० सेपरेटर

4- वायु प्रदूषण नियंत्रक हेतु व्यवस्था जैसे ....का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाय, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।

7- उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।

8- यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

9. आपके उद्योग की जारी की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान — सम्पत्ति — वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।

10. ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।

11. आपको उपकर अधिनियम 1997 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रति भेजने की सलाह दी जाती है।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

संलग्नक : उपरोक्त अनुसार

भवदीय,

(अमित चन्द्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ संख्या .... वायु प्रदूषण .... तद् दिनांक ....

प्रतिलिपि :—

1—उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2—कम्प्यूटर अनुभाग

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी-९५२/९५३, सेक्टर-बी, महानगर, लखनऊ

दूरभाष : 388311

सहमति आदेश पत्र

संख्या ....38..../सहमति [वायु] आदेश/....2466/98....लखनऊ, दिनांक ....12/1/98.

विषय :—सहमति में ....

रमाशंकर ब्रिक फील्ड, बसन्तपुर तेजवापुर हैदरगढ़, बाराबंकी

वायु [प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण] अधिनियम १९८१ की धारा २१/२२ के अन्तर्गत।

संदर्भ :—आवेदन संख्या ....दिनांक..............................

१- वायु अधिनियम १९८१ के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र में..को अपने प्रपत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अधीन रमाशंकर ब्रिक फील्ड, बसन्तपुर तेजवापुर हैदरगढ़, बाराबंकी

यह सहमति सीजन 1998-99 प्रारम्भ करने हेतु इस शर्त के साथ विधि मान्य है कि उद्योग द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 13.11.97 के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए निर्धारित अवधि दिनांक 30.6.99 तक उत्पादन क्षमता के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था एवं फ़िल्टर चिमनी की स्थापना पूर्ण कर ली जायेगी अन्यथा यह सहमति आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

सहमति दिनांक .... अवधि तक मान्य है।

२- इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु [प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण] अधिनियम १९८१ धारा २१ [६] में तथा इसके संशोधित अधिनियम १९८७ के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी
लखनऊ

अनुलग्नक : संलग्नक
[सहमति शर्तें]

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ

संचालन सहमति आदेश संख्या ..../सहमति (वायु) आदेश/...................................

दिनांक ....

सहमति शर्तें

1- धूम्र गैस की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।

[i]

[ii] [illegible] सम्बद्ध चिमनी [illegible]

[iii] —

[iv] —

[v] —

—

2- वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।

[i] सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस. पी. एम.) 750

विसर्जन प्रतिमानक

क्यूबिक मीटर

[ii] मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)

[iii] हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड, सल्फ्यूरिक मिस्ट —

[iv] सल्फर डाई आक्साइड

[v] कार्बन मोनोआक्साइड पी. पी. एम.

[vi] हाइड्रोकार्बन —

[vii] अमोनिया —

[viii] फ्लोरीन —

[ix] मरकैप्टेन —

[x] —

—

—

3- समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिमापकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हों।

4- बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिष्ठापन [illegible] अथवा कार्यरत परिसर में हो रहा हो।

5- बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र में [illegible] (यदि समय एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

(१)

६— बिन्दु ४ ५ एवं ७ में सूचित नियन्त्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों की कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाये।

७— इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी / स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाए।

८— सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।

९— [अ] उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जावे एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के..........दो.......... माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

[ब] नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।

१०— किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा—२६ से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों को संदर्भित धारा – २६ उत्तर प्रदेश वायु [प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण] धारा १९८१ वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।

११— इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।

१२— इकाई का रख रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।

१३— इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

१४— इकाई के आवासों, कृषि उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा नुकसान की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।

१५— आवेदन कर्ता / इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों / आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गये आदेश / निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता / इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

१६— उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम के धारा २१ [६] के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेंगी।

१७— आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से ९० दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से ९० दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।

१८— बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जायेगी।

१९— आवेदक को निरीक्षणकर्ता / बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्रों के निर्माण अधिष्ठापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित हो उपलब्ध करानी होंगी।

२०— इस सहमति आदेश की प्राप्ति के ३० दिन के अन्दर अपने उद्योग के डायरेक्टर्स पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।

२१— इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम १९८१ की धारा २१ (६) में तथा इसके संशोधित अधिनियम १९८७ के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बाराबंकी।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

पत्र संख्याः सीएमओ/चिकि0 आ0/2022-23/ 13352 दिनांकः 20.07.2022

महोदय,

बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्याः एच 61162/सी-5/95/ओ0ए0 सं0 343/2022 दिनांकः 24.05.2022 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सख्याः 343/2022 सनी प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांकः 17.05.2022 के अनुपालन में आपके पत्र संख्याः 637/रिट याचिका-98/2022 दिनांकः 30.06.2022 के द्वारा मैसर्स राम शंकर ब्रिक फील्ड(पी0बी0एस0) प्रोपराइटर (राजेश कुमार वर्मा) ग्राम तेजवापुर, ब्लाक-त्रिवेदीगंज लोनीकटरा, तहसील-हैदरगढ़ जिला बाराबंकी के संचालन के आस-पास के जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के शिकायती प्रकरण की जांच कराये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के क्रम में अधोहस्ताक्षरी ने अपने कार्यालय आदेश पत्र संख्याः सीएमओ/बीबीके/जांच/2022-23/619 दिनांकः 14.07.2022 के द्वारा त्रसदस्यीय समिति कि गठन करते हुये संदर्भित प्रकरण की जांच/स्थलीय निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया था, जिसके अनुपालन में जांच समति ने स्थलीय निरीक्षण कर जांच करते हुय एवं सम्बंधित के बयान लेते हुये आख्या दिनांकः 20.07.2022 कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी में उपलब्ध करायी है।

समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या मय सम्बंधित बयान व सम्बंधित प्रपत्रों के इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके समक्ष प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार मूल रूप में

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बाराबंकी।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बाराबंकी।

महोदय,

बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्याः एच 61162/सी–5/95/ओ0ए0 सं0 343/2022 दिनांकः 24.05.2022 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सख्याः 343/2022 सनी प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांकः 17.05.2022 के अनुपालन में क्षेत्री अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्याः 637/रिट याचिका–98/2022 दिनांकः 30.06.2022 के कम में मैसर्स राम शंकर ब्रिक फील्ड(पी0बी0एस0) प्रोपराइटर (राजेश कुमार वर्मा) ग्राम तेजवापुर, ब्लाक–त्रिवेदीगंज लोनीकटरा, तहसील–हैदरगढ़ जिला बाराबंकी के संचालन के आस–पास के जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के शिकायती प्रकरण की जांच कराये जाने हेतु की गयी अपेक्षा के कम में आपके आदेश पत्र संख्याः सीएमओ/बीबीके/जांच/2022–23/619 दिनांकः 14.07.2022 के द्वारा समिति का गठन कर स्थलीय निरीक्षण कर जांच हेतु आदेशित किया गया था। जिसके अनुपालन में जांच समिति दिनांकः 16.07.2022 को उक्त स्थल पर उपस्थित होते हुये नजदीक के ग्राम तेजवापुर के वासियों से उक्त भटठें के धुएं से पूर्व में किसी प्रकार की समस्या के जनमानस में होने के सम्बंध में पूछताछ की गयी, जिसमें ग्राम वासियों ने लिखित रूप में अवगत कराया गया है कि रामशंकर ब्रिक फील्ड ग्राम से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है, जबकि इसके अतिरिक्त अन्य भट्ठें और भी है जो ग्राम तेजवापुर से और नजदीक है, अभी तक इन भट्ठों के धुंऐं से दुष्प्रभाव से कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुयी है। इसके अतिरिक्त राम शंकर ब्रिक फील्ड(पी0बी0एस0) से अन्य नजदीकी ग्राम मारूफपुर के वासियों से पूछताछ करते हुये उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गयी, जिसमें ग्राम वासियों द्वारा अपने बयान में अवगत कराया है कि उनके गांव से 01 से 02 किमी0 की दूरी पर रामशंकर ब्रिकफील्ड, मां विन्धवासिनी ब्रिकफील्ड, शंकर ब्रिक फील्ड और गयास ब्रिक फील्ड स्थित है, इन भट्ठों के धुंए से जनमानस के स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत प्रभाव की शिकायत नहीं आई है और न ही हम लोगों को किसी भटठें से कोई शिकायत है। इस सम्बंध में बद्दापुर के निवासियों ने अवगत कराया है कि रामशंकर ब्रिक फील्ड उनके ग्राम से लगभग 0.6 किमी0 की दूरी पर स्थित है, जिसकी चिमनी से निकलने वाले धुंए से आज तक कोई बीमार नहीं हुआ है। इसी कम में नजदीक के प्राथमिक विद्यालय जसकापुर, वि0ख0 त्रिवेदीगंज बाराबंकी की प्रधानाध्यापिका से अध्यापकों एवं बच्चों के स्वास्थ्य के बारे जानकारी ली गयी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वे वर्ष 2008 से वहां कार्यरत है। अभी तक धुंए की वजह से कोई विपरीत प्रभाव संज्ञान में नहीं आया है। इनके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि विद्यालय से 600 मीटर की दूरी पर मां विन्ध्यवासिनी ब्रिक फील्ड व 500 मीटर पर रामशंकर ब्रिक फील्ड व 400 मीटर की दूरी पर गयास ब्रिक फील्ड है। वहां से भी कोई वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की शिकायत नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त जांच समिति के सदस्य जो वर्तमान में कार्यवाहक अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र त्रिवेदीगंज बाराबंकी के पद पर कार्यरत है, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि चिकित्सालय पर मरीजों में धुएं के दुष्प्रभाव से होने वाली बीमारियों के मरीजों में वृद्धि नहीं हुयी है।

निष्कर्ष–: सम्बंधित के बयानों एवं जांच से निष्कर्ष निकलता है कि रामशंकर ब्रिक फील्ड के धुंए से आस–पास के ग्राम वासियों में स्वास्थ्य सम्बंधी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 प्रणव कुमार श्रीवास्तव)
कार्यवाहक अधीक्षक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र त्रिवेदीगंज
बाराबंकी।

(डा0 डी0के0श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
, बाराबंकी।

(डा0 विनोद कुमार दोहरे)
जिला क्षय रोग अधिकारी
बाराबंकी।

बयान

सेवा में

जांच समिति
जनपद- बाराबंकी

हम समस्त ग्राम वासी तेजवापुर जन्म से निवास कर रहे हैं। जैसा कि जांच समिति द्वारा संज्ञान मे लाया गया है कि क्षेत्र में राम शंकर ब्रिकफील्ड (P.B.F.) से निकलने वाले धुंए के कारण जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड रहा है।

राम शंकर ब्रिक फील्ड मेरे गांव से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। हमारे ग्राम में वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य होने वाले दुष्प्रभाव की कोई शिकायत नहीं है।

इसके अलावा मेरे ग्राम तेजवापुर में मां विन्ध्यवासिनी ब्रिकफील्ड जिसकी दूरी लगभग 600 मी० व शंकर ब्रिक फील्ड की दूरी 600 मी० है।

16.7.2022

भवदीय

सत्यप्रकाश 8303866905
अवधेश कुमार 9956978367
साधना मिश्रा 9956958541
गीता देवी 9005963963
सलोनी
रामराज 9400032692
सत्य नाम 7052032692
गोलु 7518760301
संगीता 9792350254
राकेश कुमार - 9696259844

बयान

जाँच समिति जनपद बाराबंकी

सेवा: मैं राजेश वर्मा रामशंकर ब्रिक फील्ड के पार्टनर बयान करता हूँ कि मेरा ईंट भट्ठा लगभग 25 वर्षों से निरन्तर संचालित हो रहा है। जिससे अभी तक किसी प्रकार की धुँए सम्बन्धित कोई शिकायत नहीं है। हमारा भट्ठा मानक अनुरूप संचालित हो रहा है। जिसका प्रदूषण सहमति 2024 तक प्रदूषण विभाग से प्राप्त है। हम अपने भट्ठे का धुआँ भी चेक करते रहते हैं जो मानक अनुरूप है। हमारे आसपास कोई और ईंट भट्ठे संचालित हो रहे हैं। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

भवदीय

[signature]

16/07/2022

9415049285

राजेश वर्मा

ग्राम जसमापुर हैदरगढ़

बाराबंकी

बयान

सेवा में,
जाँच समिति

दि. 16.07.2022

महोदय!

मैं विद्यावती प्र. अ. प्रा. वि. जसकापुर, त्रिवेदीगंज, बाराबंकी में 2008 से कार्यरत हूँ। आपके द्वारा पूछा गया है, कि आपके क्षेत्र में मौजूद रामशंकर ब्रिक फील्ड तेजवापुर से होने वाले धुएँ से वायु प्रदूषण के कारण पढ़ने वाले बच्चों व अध्यापकों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है? महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, कि अभी तक धुएँ की वजह से कोई विपरीत प्रभाव संज्ञान में नहीं आया है। नियमित रूप से हमारा विद्यालय समय से खुलता है व बच्चे नियमित आते हैं। आज तक किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, कि 600 मी. की दूरी पर माँ विन्ध्यवासिनी ब्रिक फील्ड व 500 मी. पर शंकर ब्रिक फील्ड व 400 मी. दूरी पर गयास ब्रिक फील्ड है। वहाँ से भी कोई वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव की शिकायत नहीं मिली है।

मैं यह बयान अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के दे रही हूँ।

विद्यावती
प्रधानाध्यापक
प्रा0 वि0 जसकापुर
वि0 ख0 त्रिवेदीगंज बाराबंकी
मो.नं. 9005177014

बयान

सेवा में

जाँच समिति
बाराबंकी

महोदय
हम समस्त ग्रामवासी बहदापुर मे जन्म से रह रहे है। मह गोर गाँव से 600 मीटर की दूरी पर रामशंकर ब्रिक फील्ड है। ब्रिक फील्ड की चिमनी से निकलने वाले धुंये से हम लोगो के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव नही पड रहा है। न ही धुंयें से आजतक कोई बीमार नही हुआ है। रामशंकर ब्रिक फील्ड से कोई शिकायत नही है। हम समस्त ग्राम वासी अपनी मरजी से बयान दे रहे है।

दिनाँक
16.7.2022

प्रार्थीगण
ग्राम बहदापुर

1. शिवमंगल वर्मा 9956617376
2. रामलाल 8381945468
3. उमेश कुमार 8009921523
4. राजाराम 9161483894
5. अतहर अली 8448308904
6. रोशनलाल 9838564277
7. रामहेत 8601966136
8. मुस्तकीम 7404580557
9. हरिश 7238514842
10. श्यामू मिश्रा 7080118057
11. नि॰ रामअवध

दिनाँक
16·07·2022

बयान

सेवा में
जाँच समिति बाराबंकी

हम सभी ग्रामवासी मारूफपुर में निवास करते हैं, मेरे गाँव से से लगभग एक से दो किलोमीटर की दूरी पर रामशंकर ब्रिकफील्ड व माँ विन्धवासिनी ब्रिक फील्ड व शंकर ब्रिकफील्ड और गयास ब्रिक फील्ड स्थित है। भट्ठे से निकलने वाले धुएं से हम लोगो के स्वास्थ पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और आज तक ना ही भट्ठो के धुए से कोई बीमार हुआ। हम लोगों को रामशंकर ब्रिक फील्ड व अन्य किसी भट्ठे से कोई शिकायत नहीं है। महोदय रामशंकर ब्रिक फील्ड विगत कई वर्षों से संचालित है। आज तक हमारे गाँव में किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। हम ग्राम वासी यह बयान बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से दे रहे हैं।

ग्रामवासी गढ़

(1) संजय सिहं मो०-91982076866
(2) चन्द्रकान्त मो० नं० 7318473267
(3) सुमन
अ.नि. सुकई (4) सुनीला कुमार (किसान) 895365904
(5) श्याम बिहारी किसान 8
अनुराग (6) चन्दन सिंह - 99568952
शीला (7) Ramendra Mishra 9935877676
(8) जनार्दन